

स्वायत्त उपखण्ड अधिकाणी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)
 (पठारसीन अधिकाणी लोक अदालत / कैम कोर्ट) कैम आमजद

-: आदेश :-

पार्थी के खाली दुस्ती पार्थान पर एवं पटवानी आमजद व भू.अ.न. शेखरी की रिपोर्ट पर तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी की अनुरासा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसूचण में आमजद 78 गांवा 75 पुंराना तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सफल 207437 में आमजद 78 गांवा 75 पुंराना में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरमद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं.	ग्राम	जता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	आमजद	78 गांवा 75 पुंराना	आमजद गांवा आमजद गांवा	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
			वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
			वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
			वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)

क्रमांक :- 1684
 तिथि :- 15/11/18

उपखण्ड अधिकाणी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)
 लोक अदालत
 पठारसीन अधिकाणी

1. तहसीलदार रामगढ़-शेखावाटी को भुजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरमद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
 2. पार्थी श्री आमजद को भुजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरमद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
 3. शीघ्रत पत्रवाणी।

पठारसीन अधिकाणी
 लोक अदालत
आमजद

उपखण्ड अधिकाणी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)